

समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

दूरभाष : 2527532
तार : युनिवर्सिटी
फैक्स : 0731-529540

कं. शैक्षणिक/सम्बद्धता/16/301
प्रेषक,

कुलसचिव,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर.

प्रति,

प्राचार्य/संचालक,

श्री रेवा गुर्जर बाल निकेतन महाविद्यालय,
सनावद, जिला-खरगोन(म.प्र.)

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001
दिनांक

128 MAY 2016

विषय : बी.एड. प्रथम वर्ष की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक।
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन दिनांक 09.03.2016 संदर्भ में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.05.2016 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

क.	पाठ्यक्रम/विषय	सत्र	निर्णय
1	बी.एड. प्रथम वर्ष	2016-17	दो बेसिक यूनीट यानी 100 छात्र (एक बेसिक युनिट = 50 छात्र) की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

शर्त:-

- 1) More Books Should be purchased as per New Two Year B.Ed
- 2) महाविद्यालय द्वारा एन.सी.टी.ई. (रेग्यूलेशन-2014) के मापदण्डों को पूर्ण पालन किया जावे।
- 3) संत दयानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय एवं अन्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर WP NO. 1859 of 2006 and 1860 of 2005 पर पारित आदेश एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा महाविद्यालय को दी गई मान्यता के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय को प्रावधिक रूप से अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
- 4) महाविद्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल से अनुमति भी प्राप्त करें।
- 5) प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्तियां एन.सी.टी.ई. के मापदण्डों के अनुसार कॉलेज कोड-28 में तीन माह में एवं शेष शर्तों की पूर्ति एक माह में कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। महाविद्यालय कॉलेज कोड 28 में नियुक्त प्राचार्य एवं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर, नियुक्ति पत्र एवं ज्वॉइनिंग रिपोर्ट विश्वविद्यालय में तीन माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
- 6) महाविद्यालय की सीट संख्या नवीन एन.सी.टी.ई.रेग्यूलेशन-2014 के अनुसार दो बेसिक यूनीट अर्थात् 100 छात्र (एक बेसिक युनिट= 50 छात्र) की रहेगी।
- 7) विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.-27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 8) महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aishe.gov.in पोर्टल पर प्रति वर्ष महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
- 9) महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्व-पोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ की जावे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारु रूप से संचालन हेतु रुपये 10/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता है।

भवदीय,

कुलसचिव

//2//

पृष्ठांकन शैक्षणिक/सम्बद्धता/16/901

दिनांक : 28 MAY 2016

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. रीजनल डायरेक्टर, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स भोपाल की ओर महाविद्यालय के द्वारा दिये गये शपथ पत्र की छायाप्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, मोतीतबेला केम्पस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन/शैक्षणिक विभाग एवं निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. विभागाध्यक्ष, शिक्षा अध्ययनशाला, दे.अ.वि.वि., खण्डवा रोड इन्दौर
6. रिकार्ड नस्ती।

उप-कुलसचिव(शैक्ष)